

**बिहार सरकार**  
**वाणिज्य-कर विभाग**  
**-:अधिसूचना:-**

संचिका संख्या :-6 / वि०पत्रा०-24-90 / 2023

/पटना, दिनांक-

श्रीमती अनामिका, राज्य-कर उपायुक्त (56-59वीं बैच), जी०एस०टी० अन्वेषण ब्यूरो, मुख्यालय, बिहार, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-05.12.2024 से 19.12.2024 तक कुल 15 (पंद्रह) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के उपरांत श्रीमती अनामिका के अवकाश लेखा में (131-15=116) एक सौ सोलह दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-


(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6 / वि०पत्रा०-24-90 / 2023 1322

/पटना, दिनांक- 21/04/26

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै०दा०नि०को०)विभाग, बिहार, पटना-800015/  
कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/राज्य-कर संयुक्त  
आयुक्त-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर  
संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच०आर०एम०एस०, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार,  
पटना/राज्य-कर उपायुक्त-एच०आर० मैनेजर (स्था०), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार,  
पटना/आई०टी० मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती अनामिका, राज्य-कर  
उपायुक्त (56-59वीं बैच), जी०एस०टी० अन्वेषण ब्यूरो, मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ  
प्रेषित।

  
सरकार के उप सचिव,  
बिहार, पटना।